

 <p>सत्यमेव जयते</p>	<p>भारत सरकार / Government of India वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / Ministry of Commerce &amp; Industry, विकास आयुक्त का कार्यालय / Office of the Development Commissioner, सीपज़ - विशेष आर्थिक क्षेत्र / SEEPZ-Special Economic Zone, अंधेरी (पूर्व), मुंबई // Andheri (E), Mumbai -400 096 टेलि. / Tel.: 022-28294790 ई-मेल / E-mail: <a href="mailto:dcseepz-mah@nic.in">dcseepz-mah@nic.in</a>, वेबसाइट / Website: <a href="http://www.seepz.gov.in">www.seepz.gov.in</a></p>	 <p>आज़ादी का अमृत महोत्सव</p>
---	--	---

F.No. SECU-11011/1/2022

दिनांक: 28.09.2023

### सूचना

एसजीजेएमए (SGJMA) द्वारा दिनांक 27.09.2023 के पत्र के माध्यम से गेटपास प्रणाली "प्रवेश" कार्यान्वयन में स्थगन का अनुरोध किया गया। विकास आयुक्त ने एसजीजेएमए द्वारा किए गए अनुरोध के तहत परिपत्र संख्या 31/20236 में निम्नलिखित संशोधन को मंजूरी दे दी है।

परिपत्र के अनुच्छेद 01 को इस प्रकार पढ़ा जाए-

"दिनांक 23.05.2017 के परिपत्र संख्या 04 में निर्धारित प्रक्रिया के अधिक्रमण में, चरणबद्ध तरीके से नई गेट पास प्रणाली "प्रवेश" को लागू करने के लिए निम्नलिखित व्यापक दिशा निर्देश/प्रक्रिया 13 अक्टूबर, 2023 से लागू होगी:

क) 30 सितंबर, 2023 तक समाप्त होने वाले कर्मचारियों और वाहनों के सभी स्थायी गेट पास के लिए यूनिटों को 06 अक्टूबर, 2023 को या उससे पहले आवेदन करें, तदनुसार, 05 सितंबर से 30 सितंबर के बीच समाप्त होने वाले पास 12 अक्टूबर, 2023 तक वैध होंगे और...

ख) मौजूदा गेट पास प्रणाली के सभी पास जो 31 अक्टूबर, 2023 तक वैध हैं, उन्हें 20 अक्टूबर, 2023 से पहले नई प्रणाली "प्रवेश" में आवेदन करना होगा और...

ग) मौजूदा गेट पास प्रणाली में 31 अक्टूबर, 2023 से आगे के वैधता वाले अन्य सभी स्थायी पासों को 31 अक्टूबर या उससे पहले आवेदन करना होगा और "प्रवेश" गेट पास प्राप्त होने के बाद पुराने पास बंद कर दिए जाएंगे। 30 नवंबर 2023 के बाद किसी भी वैधता वाले पुराने गेट पास स्वीकार नहीं किए जाएंगे और किसी भी व्यक्ति को गेट पास के बिना सीपज़-सेज़ परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

घ) दैनिक गेट-पास केवल 13 अक्टूबर, 2023 से "प्रवेश" गेट पास प्रणाली द्वारा जारी किया जाएगा।

हस्ता./-

(हनीश राठी),

सहायक विकास आयुक्त,

सीपज़-सेज़, मुंबई

 सत्यमेव जयते	<p>भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA विकास आयुक्त का कार्यालय/ OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER सीपज़ विशेष आयुक्त क्षेत्र / SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE AUTHORITY वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय / MINISTRY OF COMMERCE &amp; INDUSTRY अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 096 / ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096. टेली / Tel : 022-28294790 ई-मेल /E-mail : <a href="mailto:dcseepz-mah@nic.in">dcseepz-mah@nic.in</a> वेबसाइट / Web-site : <a href="http://www.seepz.gov.in">www.seepz.gov.in</a></p>	 आज़ादी का अमृत महोत्सव
---	--	--

F.No. SECU-11011/1/2022

Date: 28.09.2023

## Notice

SGJMA requested for deferment in Gatepass system “ऱवेश” implementation vide letter dated 27.09.2023. Accordingly, the Development Commissioner has approved following modification to Circular No. 31/20236 in light of the request made by SGJMA.

Para01 of the Circular may be read as-

*“In supersession of procedure set out in Circular No.04 dated 23.05.2017, following comprehensive guidelines /procedure will come into force w.e.f. 13<sup>th</sup> October, 2023 in order to implement new Gatepass system “ऱवेश” in a phased manner:*

*a. Units shall apply on or before 06<sup>th</sup> October, 2023 for all permanent Gatepass of employees and vehicles expiring by 30<sup>th</sup> September, 2023, accordingly, the passes expired between 05<sup>th</sup> September to 30<sup>th</sup> September will be valid till 12<sup>th</sup> October, 2023 and*

*b. All passes of exiting Gatepass system which are valid till 31<sup>st</sup> October, 2023 shall have to apply before 20<sup>th</sup> October, 2023 in new system “ऱवेश” and*

*c. All other permanent passes having validity beyond 31<sup>st</sup> October, 2023 in existing Gatepass system shall have to apply on or before 31<sup>st</sup> October and Old Passes will be discontinued after receiving the “ऱवेश” gate pass. Old Gatepasses with any validity will not be accepted after 30<sup>th</sup> November 2023 and the person will not be allowed to enter in SEEPZ, SEZ Premises.*

*d. Daily gate-pass will be issued by “ऱवेश” Gatepass system only from 13<sup>th</sup> October, 2023.*

*(Handwritten signature and date)*  
28/09/2023

(HanishRathi)  
Assistant Development Commissioner  
SEEPZ-SEZ, Mumbai